संचालनालय लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

कमांक/अनुदान/ज/32/98–04/09/1198 भोपाल, दिनांक 8-12-9

//आदेश//

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ/37–19/96/20–5 दिनांक 03.11.2000 के द्वारा अशासकीय जनता उ.मा.वि. मझगवां जिला रीवा को शासनाधीन किया गया। इसमें कुल 23 पद स्वीकृत किये गये। यह संस्था पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं थीं एवं आवेदक श्रीमती कमलेश कुमारी सिंह व्याख्याता के रूप में कार्यरत् थी। शासनाधीन होने के पश्चात् कुल स्वीकृत 23 पदों में से शिक्षाकर्मी वर्ग–1 के 8 पद स्वीकृत किये गये थे। श्रीमती सिंह जिलास्तर पर की गई स्कीनिंग में मान्य नहीं थी क्योंकि 8 पदों में से 3 पद आरक्षित वर्ग के छोड़कर शेष 5 पदों पर वरिष्ठता एवं आवश्यक अर्हता अनुसार उनका संविलियन संभव नहीं था। याचिका क्रमांक 17096/06 के निर्णय दिनांक 28.11.2006 के परिप्रेक्ष्य में स्पीकिंग आदेश दिनांक 21.03.2007 को जारी किया जा चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 30.03.07 के क्रम में संस्था प्राचार्य द्वारा दिनांक 07.04.2007 को श्रीमती सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया।

श्रीमती सिंह द्वारा कार्यरत् अवधि के वेतन भुगतान हेतु पुनः दायर याचिका क्रमांक 5667/07 के निर्णय दिनांक 06.03.09 में मान. उच्च न्यायालय द्वारा श्री बृजेन्द्र तिवारी के प्रकरण में अपील क्रमांक 1882/07 के निर्णय दिनांक 15.07.08 के समान कार्यवाही के निर्देश दिये गये है तथा तदानुरूप ही भुगतान के निर्देश भी दिये गये है। यह भी निर्देश है कि सेवा निकासी के बाद से पुनः ज्वाईन करने की अवधि पर सक्षम अधिकारी नियमानुसार निर्णय ले सकते है।

श्री बृजेन्द्र तिवारी द्वारा दायर प्रकरण क्रमांक 1882/07 के निर्णय दिनांक 15.07.08 में न्यायालय में 4 माह के विचार करने के निर्देश दिये गये थे। तत्समय नवीन गठित स्कीनिंग समिति दिनांक 04.03.08 का प्रतिवेदन दिनांक 16.04.08 को प्राप्त हो चुका है। इसमें भी श्रीमती कमलेश कुमारी सिंह के संविलियन की अनुशांसा नही की गई है।

निरंतर .....

अतः मान. न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.3.09 के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी रीवा दिनांक 01.12.2000 से इनकी कार्यरत् अवधि के सत्यापन उपरांत शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक हेतु उपलब्ध बजट से वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करे । श्रीमती कमलेश कुमारी सिंह को स्कीनिंग समिति द्वारा संविलियन हेतु पात्र नही पाया है । अतः मान. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.7.08 के पालन में सेवा समाप्ति से कार्यभार ग्रहण अवधि तक के वेतन की पात्रता श्रीमती कमलेश कुमारी सिंह को नही है । संविलियन हेतु अपात्र होने के कारण इनकी सेवा समाप्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा पारित किया गया ।

Sd/-

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. कमांक/अनुदान/ज/32/98–04/09/1199
भोपाल, दिनांक 8-12-9

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला रीवा, म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक (विधि प्रकोष्ठ) जबलपुर, म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्तानुसार अवमानना प्रकरण कमांक 789/09 में वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन मान. न्यायालय में प्रस्तुत कर निराकरण करायें ।
7. प्राचार्य अशास. जनता उ.मा.वि., रीवा म.प्र.।
8. श्रीमती कमलेश कुमारी सिंह, द्वारा जयप्रताप सिंह, ग्राम+पो. मझगवां जिला रीवा की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.